(29)

68

उए-3(या0भ0)-01/2010- 5757-

बिहार सरकार

वित्त विभाग

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,

पटना, दिनांकः- 29.6.11

विषयः- **अत्यंत बाध्यकारी परिस्थिति में ही वायुयान से यात्रा की स्वीकृति के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकारी प्रावधानानुसार कम-से-कम 8700/- ग्रेड-पे पाने वाले पदाधिकारी तथा विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार की अनुमति से ग्रेड पे 7600 तक वेतन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी वायुयान से इकोनॉमी क्लास में यात्रा के हकदार हैं । सरकार के समक्ष कई ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जब विभिन्न विभागों द्वारा कम वेतनमान के कर्मियों को इस आधार पर वायुयान यात्रा की अनुमति दे दी जाती है कि रेल टिकट उपलब्ध नहीं है या समय कम है बाद में उनकी घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्राप्त होता है ।

इस संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नियंत्री प्राधिकारी द्वारा प्रशिक्षण/बैठक में पदाधिकारियों को भेजने के संबंध में तत्परतापूर्वक निर्णय लिया जाए, मुख्य सचिव कार्यालय/रेलवे कोटा का उपयोग किया जाए और अत्यंत ही बाध्यकारी परिस्थिति में ही वायुयान से यात्रा की स्वीकृति ऐसे पदाधिकारियों/कर्मियो को दी जाए जो इसके पात्र नहीं हैं । वैसे मामलों में भी वापसी यात्रा हेतु संबंधित पदाधिकारी/कर्मी द्वारा रेल से यात्रा की व्यवस्था का प्रयास किया जाए ।

विश्वासभाजन

28/6/11

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव